



दैनिक

# न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO :- CHHIN/2018/76480

Email :- nyaysakshi@gmail.com

रायगढ़, गुरुवार 21 फरवरी 2019

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-01, अंक-143

## महत्वपूर्ण एवं खबर

हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे: इमरान

पाक पीएम का भारत को खुली धमकी इस्लामाबाद (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहली बार मुंह खोला है। उन्होंने अपने बयान में भारत को दबी जुबान में युद्ध तक की धमकी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि आर हम पर हमला किया गया तो पाकिस्तान करारा जवाब देगा। साथ ही, यह भी कहा कि भारत एक बार फिर बिना सबूत हम पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ऐसी क्यों करेगा, इससे हमें क्या फायदा। उन्होंने कहा कि अगर भारत की सरकार हमें कोई सबूत देगी तो हम इस मसले पर जांच करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सजदी प्रिंस के दौरे को लेकर हमारा ध्यान था। जब क्रांति प्रिंस वापस गए हैं इसलिए अब मैं जवाब दे रहा हूं।

**कई लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद मंगोलिया ने**

**केएफसी के रेस्ट्रां बंद किये**

उलानबटोर (आरएनएस)। मंगोलिया में केएफसी के रेस्ट्रां में खाना खाने वाले 200 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अधिकारियों ने देश की राजधानी में केएफसी के सभी रेस्ट्रां को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। पहला मामला इस महीने की शुरुआत में सामने आया था जब कंपनी के रेस्ट्रां में मुर्गी का भुना मास खाने के बाद 16 लोगों में डायरिया, उल्टी और तेज खुखरा समेत भोजन विषाक्तता के लक्षण दिखे थे। उलानबटोर के महानगर पेशेवर जांच विभाग ने बताया कि ऐसे 247 मामलों की रिपोर्ट की गयी है और 42 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

**उच्च न्यायालय ने शहीद शब्द के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज की**

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया को सैनिकों के संदर्भ में मारे गए या मर गए के बजाय शहीद शब्द का इस्तेमाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता व वकील अधिक चौथरी को उसी अधार पर पर इस तहत की अंगू दाखिल करने के लिए फटकार लगाई, जो अक्टूबर 2016 में एक अन्य पीठ द्वारा पहले ही रद्द कर दी गई थी। चौथरी ने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सैनिकों की शहादत पर समानजनक शब्दों का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की याचिका दायर की थी।

**सीबीआई चीफ नागेश्वर की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी दखल**

नई दिल्ली (आरएनएस)। सर्वोच्च

न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)

के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम.नागेश्वर राव की पूर्व में की गई नियुक्ति में दखल देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। सर्वोच्च

न्यायालय ने मामले में दखल देने से इनकार

ऐसे समय में किया है जब सीबीआई

निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी

है। न्यायाधीश अरुण मिश्र की पीठ ने पूरी

प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कोई भी

निर्देश देने से भी इनकार कर दिया।

**वैदिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने की रेस में रामदेव, किया आवेदन**

नई दिल्ली। योग गुरु रामदेव की संस्था

पतंजलि योगपीठ ने वैदिक शिक्षा के लिए देश

के पहले राष्ट्रीय विद्यालय बोर्ड की स्थापना में

अपनी रुचि जाहिर की है। इसके लिए भारतीय

शिक्षा परिषद महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या

प्रतिष्ठान ने आवेदन मंगाए हैं। रामदेव की

संस्था ने बोर्ड के गठन में अपनी इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि महर्षि सांदीपनी

राष्ट्रीय वेदविद्यालय प्रतिष्ठान

(एमएसआरवीपी) ने 11 फरवरी को भारतीय

शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए आवेदन मारे

थे, जिसकी अंतिम तारीख 19 फरवरी थी।

## एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून

### मामले में 26 मार्च को सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिकार्ताओं की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) (अत्याचार निवारण) कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली (आरएनएस)। संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। केंद्र की विधिक